न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

0स0 – 68 / 2025

नाम :

1. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. तेजपाल पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जुहारा जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सरोज पुत्री रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सावित्री पत्नी रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री भानुप्रताप ऐडवोकेट वादी
श्री अमरजीत ऐडवोकेट प्रतिवादी

निर्णय   दिनांक [illegible]

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 312/327 के खसरा सं0 60, 64 कुल 16.1600है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 201/201 के खसरा सं0 383 की 5.4380है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रीति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा मुन्सरी बारानी व करणपुरा बारानी वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक [illegible] नामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:24 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत [illegible] में वादी ने रोही मोजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 312/327 के खसरा सं0 60, 64 कुल 15.1500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 201/201 के खसरा सं0 383 की 5.4380है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम

1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 2 व 3 अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम घोषणा किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 312/327 के खसरा सं0 60, 64 कुल 15.1500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मौजा गुन्सरी बारानी के खाता सं0 201/201 के खसरा सं0 383 की 6.4380है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार अकेले के बजाय वादीगणस सं0 1 रामनिवास व वादीगण सं0 2 तेजपाल व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...6.8.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

0न0 — 68/2025

नवान :—

1. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. तेजपाल पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जुहारा जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सरोज पुत्री रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सावित्री पत्नी रामकुमार जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रतापसिंह बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 312/327 के खसरा सं0 60, 64 कुल 15.1500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 201/201 के खसरा सं0 383 की 5.4380है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार अकेले के बजाय वादीगणय सं0 1 रामनिवास व वादीगण सं0 2 तेजपाल व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:24 IST
Reason: SelfAttested